

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री विश्वामा पिता/पति श्री कालुराम

वनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री विश्वामा पिता/पति कालुराम निवासी बोला, जाल्पा का/की हुं/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का मानपुरा के राजस्व ग्राम सुरूपपुरा में खाता संख्या 67, 125 किता 6 रकबा 0.99 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम बोला, जाल्पा दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में बोला, जाल्पा दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम बोला, जाल्पा के बजाय बोला, जाल्पा दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 20/09/2025

हस्ताक्षर  
प्रार्थी के अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का मानपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री विश्वामा पिता/पति कालुराम निवासी बोला, जाल्पा राजस्व ग्राम सुरूपपुरा पटवार हल्का मानपुरा की जमाबन्दी प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में बोला, जाल्पा दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू.अ.नि. Semapur

20/09/25

18 अक्टूबर 2025

तहसील बरसी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत..... दिनांक.....

ग्राम सेवा शिक्षक

**कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)**

क्रमांक:-भू.अ./2025/

दिनांक:-20/09/2025

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री किशान पिता/पत्नि कालुराम निवासी जोषावाड़ा पटवार हल्का जोषावाड़ा के राजस्व ग्राम सुरजपोल में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 67/15 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम बेला कालुराम किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम बेला का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार बरसी

जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)**

क्रमांक:-रीडर/2025/ 744

दिनांक:-24/09/2025

निमित्त,

पटवार हल्का जोषावाड़ा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री किशान पिता/पत्नि कालुराम राजस्व ग्राम सुरजपोल पटवार हल्का जोषावाड़ा की खाता संख्या 67/15 में जाति/नाम बेला कालुराम दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री किशान पिता/पत्नि कालुराम की जाति/नाम बेला कालुराम एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का जोषावाड़ा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करे।

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री.....बोहरा..... पिता/पति श्री.....बालुराम

वनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री.....बोहरा..... पिता/पति.....

बालुराम..... निवासी.....बोहरा..... का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का.....मानपुरा..... के राजस्व ग्राम.....बुधवापी..... में खाता संख्या.....67/125  
किता.....26..... रकबा.....299..... है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम.....बोहरा, बालुराम..... दर्ज है  
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में.....बोहरा..... दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम.....बोहरा, बालुराम..... के बजाय.....बोहरा, बालुराम..... दर्ज करवाने की कृपा  
करावे।

दिनांक 20/09/2025

हस्ताक्षर

बोहरा  
प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का.....मानपुरा.....

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री.....बोहरा..... पिता/पति.....बालुराम..... निवासी.....  
बोहरा..... राजस्व ग्राम.....बुधवापी..... पटवार हल्का.....मानपुरा..... की जमाबन्दी  
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में.....बोहरा..... करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो  
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः  
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी  
बोहरा  
20/9/25

हस्ताक्षर भू.अ.नि. बोहरा

बोहरा

ग्राम सेवा शिवालय  
ग्रामीण रंग प्रतिष्ठान-2025  
तहसील-बरौली, जिला-चित्तौड़गढ़  
कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरौली जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक:- 20/09/2025

क्रमांक:- भू.अ./2025/

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जोषवर्धन पिता/पत्नी कालुराम निवासी.....  
जोषवर्धन पटवार हल्का मानपुरा के राजस्व ग्राम सुरजपौल में जमाबन्दी रांवत् 2078-81 की  
खाता संख्या 67/125 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम देवार,  
कालुराम किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम देवार का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया  
जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। कालुराम

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं  
होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

46  
तहसीलदार(भू.अ.)  
बरौली  
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/744

दिनांक:- 27/09/2025

निमित,

पटवार हल्का मानपुरा सिधनपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री जोषवर्धन पिता/पत्नी कालुराम राजस्व  
ग्राम सुरजपौल पटवार हल्का मानपुरा की खाता संख्या 67/125 में जाति/नाम खोल/कालुरा  
दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार  
बरौली द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जोषवर्धन पिता/पत्नी कालुराम की जाति/नाम देवार/कालुराम  
एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का...  
मानपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरौली पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

★ जाति + नाम  
2025 अभियान

★ जाति + नाम  
ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

में.

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री..... गोपी..... पिता/पति श्री..... बालु राम.....

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी.

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री..... गोपी..... पिता/पति.....

बालु राम..... निवासी..... राजपुर..... का/की हूँ/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का..... राजपुर..... के राजस्व ग्राम..... राजपुर..... में खाता संख्या..... 67/1/25  
किता..... 6..... रकबा..... 299..... है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम..... गोपी/गोपा..... दर्ज है  
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में..... राजपुर..... दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम..... गोपी/गोपा..... के बजाय..... राजपुर..... दर्ज करवाने की कृपा  
करावे।

दिनांक 20/09/2025

गोपी  
हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का..... राजपुर.....

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री..... गोपी..... पिता/पति..... बालु राम..... निवासी.....  
राजपुर..... राजस्व ग्राम..... राजपुर..... पटवार हल्का..... राजपुर..... की जमोबन्दी  
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में..... राजपुर..... दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो  
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः  
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू.अ.नि. राजपुर  
20/9/25

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

तहसील बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक:-20/09/2025

क्रमांक:-भू.अ./2025/

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जोषी पिता/पत्नि कालुराम निवासी सोपलवार पटवार हल्का सोपलवार के राजस्व ग्राम सोपलवार में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 67/113 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. नै सम्मानजनक जाति/नाम बेजार, कालुराम किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम बेजार, कालुराम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

41  
तहसीलदार (भू.अ.)  
बस्सी  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/247

दिनांक:-27/09/2025

निमित्त,

पटवार हल्का सोपलवार

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री जोषी पिता/पत्नि कालुराम राजस्व ग्राम सोपलवार पटवार हल्का सोपलवार की खाता संख्या 67/113 में जाति/नाम बेजार, जान्वा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जोषी पिता/पत्नि कालुराम की जाति/नाम बेजार, कालुराम एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का सोपलवार राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

2025 अश्विन



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुरजपोल  
पटवार हल्का :- सेमलपुरा  
भू.अभि.नि. :- सेमलपुरा  
तहसील :- बस्सी  
जिला :- चित्तौड़गढ़

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2078-2081 जमाबंदी 2078 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 67  
खाता संख्या पुराना :- 50

काश्तकार का नाम:-

1. किशना पुत्र काल्या हिस्सा- 1/3 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
2. गोपी पुत्र काल्या हिस्सा- 1/3 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
3. गोवर्धन पुत्र काल्या हिस्सा- 1/3 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1570/174	0.2100	नहरी 2	0.2100	2.42		
1573/178	0.0800	बीड़	0.0800	0.20		
1575/184	0.1800	नहरी 2	0.1800	2.07		
1576/189	0.1000	बीड़	0.1000	0.25		
173	0.2600	नहरी 2	0.2600	2.99		
225	0.1600	चाही 1	0.1600	5.60		
कुल खसरे - 6	0.9900		0.9900	13.5300		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 20-Sep-2025

**NIG**



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुरजपोल  
पटवार हल्का :- सेमलपुरा  
भू.अभि.नि. :- सेमलपुरा  
तहसील :- बस्सी  
जिला :- चित्तौड़गढ़

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2078-2081 जमाबंदी 2078 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 125  
खाता संख्या पुराना :- 102

काश्तकार का नाम:-

1. किशना पुत्र काल्या हिस्सा- 1/30 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
2. गोपी पुत्र काल्या हिस्सा- 1/30 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
3. गोवर्धन पुत्र काल्या हिस्सा- 1/30 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
4. झमकु पत्नि नन्दा हिस्सा- 1/10 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
5. दौलतराम पुत्र नारायण हिस्सा- 1/10 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
6. प्रताप पुत्र भुवाना हिस्सा- 1/5 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार  
राहिन हिस्सा-1/5 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ राजस्थान
7. भगवाना पुत्र बालू हिस्सा- 1/10 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
8. भैरू पुत्र खेमा हिस्सा- 1/5 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
9. रतन पुत्र चम्पालाल हिस्सा- 1/20 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
10. रामचन्द्र पुत्र नन्दा हिस्सा- 1/10 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
11. सीता पत्नि चम्पालाल हिस्सा- 1/20 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
180	0.0500	गे.मु.चाह	0.0500			
181	0.0900	बीड़	0.0900	0.23		
कुल खसरे - 2	0.1400		0.1400	0.2300		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 20-Sep-2025

**NIC**

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

तहसील-वरसी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत-प्र.न.त.पुडा दिनांक...20/9/25

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

खानसाही खोटापार  
जाती

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री दौलतराम पिता/पति श्री नारायण

द्वानाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री दौलतराम पिता/पति

नारायण निवासी खोटापार का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का खानपुरा के राजस्व ग्राम खुम्पेज में खाता संख्या 125 किता 2 रकबा 0.14 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम खोटा दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में खोटा दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम खोटा के बजाय खोटा दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 20/9/2025

दौलतराम  
प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का खानपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री दौलतराम पिता/पति नारायण निवासी

खोटापार राजस्व ग्राम खुम्पेज पटवार हल्का खानपुरा की जमाबन्दी प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में खोटा दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हरताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हरताक्षर खानपुरा

20/9/25

खोटापार  
हरताक्षर भू.अ.नि. खोटापार  
20/09/2025

**कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)**

क्रमांक:-भू.अ./2025/

दिनांक:-20/9/2025

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री दोलाराम पिता/पत्नि बाबापुत्री निवासी जोषापुर पटवार हल्का जोषापुर के राजस्व ग्राम जोषापुर में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 125 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम बेरा किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम बेरा का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार (बस्सी)  
तहसीलदार (भू.अ.)  
जिला चित्तौडगढ (राज.)  
जिला-चित्तौडगढ

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)**

क्रमांक:-रीडर/2025/715

दिनांक:-20/9/2025

निमित्त,

पटवार हल्का जोषापुर

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने वावत्।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री दोलाराम पिता/पत्नि बाबापुत्री राजस्व ग्राम जोषापुर पटवार हल्का जोषापुर की खाता संख्या 125 में जाति/नाम बेरा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री दोलाराम पिता/पत्नि बाबापुत्री की जाति/नाम बेरा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का जोषापुर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।



## जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुरजपोल  
पटवार हल्का :- सेमलपुरा  
भू.अभि.नि. :- सेमलपुरा  
तहसील :- बस्सी  
जिला :- चित्तौड़गढ़

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2078-2081 जमाबंदी 2078 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 125  
खाता संख्या पुराना :- 102

काश्तकार का नाम:-

1. किशना पुत्र काल्या हिस्सा- 1/30 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
2. गोपी पुत्र काल्या हिस्सा- 1/30 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
3. गोवर्धन पुत्र काल्या हिस्सा- 1/30 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
4. झमकु पत्नि नन्दा हिस्सा- 1/10 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
5. दौलतराम पुत्र नारायण हिस्सा- 1/10 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
6. प्रताप पुत्र भुवानी हिस्सा- 1/5 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार  
राहिन हिस्सा- 1/5 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ राजस्थान
7. भगवानी पुत्र बालू हिस्सा- 1/10 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
8. भैरू पुत्र खेमा हिस्सा- 1/5 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
9. रतन पुत्र चम्पालाल हिस्सा- 1/20 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
10. रामचन्द्र पुत्र नन्दा हिस्सा- 1/10 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार
11. सीता पत्नि चम्पालाल हिस्सा- 1/20 जाति- बोला सा. गोपालनगर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
180	0.0500	गे.मु.चाह	0.0500			
181	0.0900	बीड़	0.0900	0.23		
कुल खसरे - 2	0.1400		0.1400	0.2300		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 20-Sep-2025

**NIG**